# <u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण</u>

## <u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

**सदभावनापूर्ण कार्यों के लिए भा वि प्रा द्वारा किए जा रहे प्रयासों पुनरावृत्ति ।**

**नई दिल्ली 21 अक्टूबर 2015:** समाज के अल्पसुविधा प्राप्त वर्गों के सामाजिक/ आर्थिक उत्थान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे पर पंजीकृत धमार्थ एजेंसियों/संगठनों/ट्रस्ट द्वारा दान/धमार्थ पेटियां रखने हेतु हाल ही में दिशा-निर्देश जारी किए है ।

पेटियों को रखने की अवधि प्रारंभिक तौर पर चार महीने की होगी और एक टर्मिनल में एजेन्सी को एक ही पेटी रखने की अनुमति होगी तथा एक टर्मिनल में तीन से अधिक पेटियां रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

पेटियां पारदर्शी सामग्री की होनी चाहिए तथा ऐसे स्थान पर रखी जाएं जहां यात्रियों के आवागमन में व्यवघान उत्पन्न न हो और अधिकतम लोग आते जाते हों, तथा किसी निजी व्यापारिक स्पांसरशिप या टाई अप व्यवस्था करने की अनुमति नहीं होगी ।

---

जनसम्पर्क निदेशालय द्वारा जारी

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें

म.प्र. (जनसंपर्क) 9810025069, 011-24622787,

सं. 54/2015-16